डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 सितम्बर 2001—भाद्र 26, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2001

क्रमांक 4785/21-अ/प्रारुपण/2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 7-9-2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश
(क्रमांक 11 सन् 2001)

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2001

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 को संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें;

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2001(क्र. 11 सन् 2001) है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 20 सन् 1987 का संशोधन.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तन के दौरान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिमियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) (जो आगे मूल अधिनियम कहलायेगा) की धारा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों में संशोधन प्रभावशील होंगे.

धारा 5 में संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में निम्नलिखित खण्ड (22) जोड़ा जाए :—

"5 (22) कृषि, पशुपालन, कृषि अभियांत्रिकी तथा तकनीकी, दुग्ध तकनीकी तथा अन्य विज्ञानों से सम्बद्ध उपाधियों/पत्रोपाधियों/प्रमाणपत्रों को उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिये महाविद्यालयों /संस्थानों को सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करना."

धारा 28 में संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 28 में निम्नलिखित खण्ड (xxix) जोड़ा जाये :—

"28 (xxix) विश्वविद्यालय से भिन्न किसी प्राधिकरण के प्रबंधन के अधीन किसी महाविद्यालय या संस्था को इस प्रयोजन के लिये बनाये गये विनियमों के प्रत्येक प्रावधानों के अनुसार कृषि और सम्बद्ध विज्ञानों में उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्र कार्यक्रम संचालन के लिये मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में सम्बद्धता प्रदान करना ."

रायपुर :
दिनांक :

(दिनेश नंदन सहाय)
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2001

क्रमांक 4785/21-अ/प्रारुपण/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्र. 11 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 11 of 2001)

THE INDIRA GANDHI KRISHI VISHWAVIDYALAYA (SANSODHAN) ADHYADESH, 2001

An Ordinance to amend the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Act, 1987.

Pramulgated by the Governor in the Fifty second year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title, extent and Commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya (Sansodhan) Adhyadesh, 2001 (No. 11 of 2001).

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh.

(3) It shall come into foce from the date of its publication in the Official Gazette.

Madhya Pradesh Act No. 20 of 1987 to be amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1987 (No. 20 of 1987) (hereafter referred to as the Principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3 and Section 4.

Amendment of Section 5.

3. Insert clause (22) in Section 5 of the Principal Act, as mentioned below :—

"5 (22) to affiliate/recognize colleges/institutions for the purpose of providing degrees/deplomas/ certificates in agriculture, animal husbandry, agriculture engineering and technology, dairy technology and other allied sciences."

Amendment of Section 28.

4. Insert clause (xxix) in Section 28 of the Principal Act, as mentioned below :—

"28 (xxix) to affiliate any college or any institution under the management of any authority other than the University as recognized institution for conducting degree/diploma/certificate courses in agriculture and allied sciences as per the provisions of regulation made for this pupose."

Raipur :

Date :

(Dinesh Nandan Sahaya)
Governor of Chhattisgarh.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 सितम्बर 2001—भाद्र 26, शक 1923

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 335/196/2001/1/5.—मेनोवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 क्रमांक 5, सन् 1938 की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भिलाई जिला दुर्ग में नीचे उल्लिखित किए गए क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में निर्धारित करता है, जिसके भीतर दिनांक 1-11-2000 से प्रारंभ होने वाले तथा दिनांक 1-11-2003 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की कालावधि के लिये नियत कालिक रूप से मैदानी गोलीबारी तथा तोप अभ्यास का किया जाना प्राधिकृत किया जा सकेगा.

2. भू-रेखांक का निरीक्षण कलेक्टर, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकेगा.

क्षेत्र के ब्यौरे

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम प.ह.नं. व. रा. नि. मं.	राजस्व भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वन भूमि (हेक्टेयर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बालोद	कोण्डेकसा प. ह. नं. 47/21, दल्ली राजहरा.	ख. नं. 79 का रकबा हेक्टेयर 223.02 का टुकड़ा 4.00 हेक्टेयर.	-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201-ब] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 सितम्बर 2001—भाद्र 26, शक 1923

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 341/1049/2001/1/5.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 548/213/साप्रवि/2000 दिनांक 20 दिसम्बर, 2000 में उल्लेखित बैंकों की अर्द्ध वार्षिक लेखाबंदी पर, सोमवार दिनांक 1 अक्टूबर, 2001 को परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अधीन घोषित सार्वजनिक अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा शनिवार दिनांक 29 सितम्बर 2001 को बैंकों की अर्द्ध वार्षिक लेखाबंदी घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्दिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.